राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 65/2021
निर्णय दिनांक :– 30/09/2022

प्रार्थीगण :–

1. ओगडराम पुत्र टीला, जाति–चौधरी, आयु–वयस्क
   निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी
2. दिनेश पुत्र गलाराम, जाति–चौधरी आयु–वयस्क
3. मांगीलाल पुत्र गलाराम, जाति–चौधरी आयु–वयस्क
4. रम्बा पत्नि गलाराम, जाति–चौधरी आयु–वयस्क
   निवासीगण–किशनपुरा, हाल–नाडोल तहसील–देसूरी
5. नथाराम पुत्र जगा, आयु–वयस्क, जाति–चौधरी
   निवासी–किशनपुरा, हाल–नाडोल तहसील–देसूरी
6. पुखराज पुत्र टीला, आयु–वयस्क, जाति–चौधरी
   निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी,
7. मांगी पत्नि वक्ताराम, आयु–वयस्क, जाति–चौधरी
   निवासी–किशनपुरा हाल–नाडोल, तहसील–देसूरी
8. वक्ताराम पुत्र डाया, आयु–वयस्क, जाति–चौधरी
   निवासी–किशनपुरा हाल–नाडोल, तहसील–देसूरी
   जिला–पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री नारायण सिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय **दिनांक :– 30.09.2022**

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ पटवार हल्का ग्राम–नाडोल–1 के खसरा नम्बर 1809/5831, 1813/5671, 1814/[illegible] किस्म बारानी अव्वल जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर[illegible] खातेदारी कृषि भूमि पटवार हल्का ग्राम नाडोल–1 के खसरा नम्बर 1809/5831, 181[illegible]/5671, 1814/5672 कुल रकबा 1.64 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में [illegible] की भूमि) 30 फीट [illegible] एवं पूरी लम्बाई में (जिसका जितना क्षेत्रफल बने) रास्ते हे[illegible] नक्शे में लाल स्याही [illegible]र्शित अनुसार उक्त खसरा नम्बर के पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1813 रकबा 5.06 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल मे से रास्ता जाने हेतु कुल रकबा 238 वर्ग मीटर/0.0238 हेक्टर की मांग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/231 दिनांक 30.05.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 27.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

4–अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी के द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1666 दिनांक 27.09.2022 के जरिये पटवार हल्का नाडोल–1 व भू0अ0नि0 नाडोल से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई गई। तहसीलदार द्वारा ख.नं. 1813 के स्थान पर ख.नं. 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर में से रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की निम्न रिपोर्ट मय मौका फर्द, नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत करी।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम नाडोल–1 की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1809/5831, 1813/5671, 1814/5672 कुल रकबा 1.64 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवगमन के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1813 रकबा 5.06 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल मे से जाने की मांग की है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थी पूर्व में भी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने बाबत खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर में से ही आना जाना करता था।
4. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर मे से 68 मीटर लम्बा एवं 02 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 68 x 2 = 238 वर्गमीटर बनता है, जो दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 3240405/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 238 वर्गमीटर की राशि रूपये 77125/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 154250/– बनती है।

5–बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर मे से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 68 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर में से ही हैं। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा पटवार मण्डल नाडोल–1 खसरा नम्बर 1809/5831, 1813/5671, 1814/5672 कुल रकबा 1.64 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 65/2021 अनवान ओगडराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

भूमि खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 68 मीटर एवं 2 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 68 x 2 = 238 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 154250/— रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 68 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 68 x 2 = 238 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 154250/— प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम नाडोल पटवार मण्डल नाडोल–1 के खसरा नम्बर 1809/5831, 1813/5671, 1814/5672 कुल रकबा 1.64 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1813/5862 रकबा 0.69 हेक्टर में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 68 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 68 x 2 = 238 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 30.9.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested